# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 59/2017 **RCMS 2017/00290**

**प्रार्थी**

1. मईनुदीन पुत्र नानू उर्फ नागू जाति ईलाही मुसलमान उम्र 55 वर्ष निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. रामेदव पुत्र धन्नाराम
2. घासीराम पुत्र धन्नाराम
3. बंशीलाल पुत्र रूपाराम
4. रामनिवास पुत्र रूपाराम
5. छोटूराम पुत्र रूपाराम
6. हेमाराम पुत्र रूपाराम
7. रूपाराम पुत्र बोदूराम
8. प्रभूदेवी पत्नी केशाराम जाति समस्त कुम्हार निवासीया दीपपुरा तह. कुचामनसिटी
9. रामेश्वरी पत्नी रामदीन
10. मुन्नी पत्नी घासीराम जाति कुमावत निवासीयानर कुचामनसिटी
11. घासीदेवी पत्नी अर्जुनराम जाति कुमावत निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी
12. मोहम्मद सलीम पुत्र मुनीर अली व्यापारी जाति कुरैशी मुसलमान निवासी कुचामनसिटी
13. अब्दुल सलाम पुत्र मुनीर अली व्यापारी जाति कुरैशी मुसलमान निवासी कुचामनरसिटी
14. मोहनलाल पुत्र बीनालाल जाति मेघवाल निवासी कुचामनसिटी
15. श्रीमति लिछमा पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कुचामनसिटी
16. नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी जरिये अधिशाषी अधिकारी
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)
18. उप पंजीयक कुचामनसिटी

**प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955**

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 11
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 12 से 15 की ओर से

**आदेश**

दिनॉक 24.07.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा 5 बिस्वा स्थित है, द्वितीय भू–प्रबन्ध से इन खसरो के नये खसरा नम्बर 1 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.74

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.46 हक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 8 रकबा 1.65 हक्टर कुल रकबा 8.87 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 3 के नये खसरा नम्बर 12 रकबाा 2.43 हैक्टर दर्ज किये गयें, चूँकि ग्राम खारिया से नया ग्राम दीपपुरा बनाया गया इसलिए ये वर्तमान खसरा नम्बर ग्राम दीपपुरा मे अवस्थित है, ये वादग्रस्त खसरे प्रार्थी के पिता नानू उर्फ नागू वल्द बोदू की खातेदारी के थे, प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद जरिए उत्तराधिकार प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त खसरो का खातेदार काश्तकार हो गया, प्रार्थी का सजरा खानदान इस प्रकार है :–

नानू उर्फ नागू पुत्र बोदू (फौत)

बतूल (पत्नि) (फौत) — मईनुदीन (पुत्र)

प्रार्थी के पिता नानू उर्फ नागू का इंतकाल हो चुका है एवं प्रार्थी की माता बतूल का भी इंतकाल हो चुका है, इस प्रकार प्रार्थी अपने पिता का एक मात्र विधिक वारिस है, वादग्रस्त खसरो पर प्रार्थी के पिता की कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व भी थी एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज किया गया, प्रार्थी के पिता द्वारा उपरोक्त खसरों की भूमि किसी भी रूप में हस्तान्तरित नही की गई, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थी के पिता का नाम सम्वत 2023–2026 की खतौनी में हटा दयिा, प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को नही था, प्रार्थी वादग्रस्त खसरों पर खातेदार की हैसियत से काबिज है, अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने रोक–टोक की और कहा कि वो उपरोक्त वादग्रस्त खसरों के खातेदार है, इस पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी से नकले मांगी एवं तहसीलदार कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार नागौर कलेक्ट्रेट से नकले प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी हुई। प्रार्थी का नाम हटाकर उनके स्थान पर गत खसरा नम्बर 1 में किसी तथाकथित धन्ना वल्द दूला, रूपा वल्द बोदू कौम कुम्हार एवं गत खसरा नम्बर 3 में चुन्नीलाल पुत्र आसू कौम मेघवंशी साकिन कुचामनसिटी दर्ज किया गया। गत खसरा नम्बर 3 जिसके नवीन खसरा नम्बर 12 कायम किये गये में चुन्नीलाल पुत्र आसुराम के स्थान पर अप्रार्थी सं. 14 व 15 का नाम अंकित किया गया एवं खसरा नम्बर 12 की भूमि जरिए नामान्तरकरण संख्या 402 पुर्नग्रहित कर नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी अप्रार्थी सं. 15 के नाम अंकित कर दी गई जो प्रार्थी को सुने बिना किया गया है एवं विधि विरूद्व किया गया है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी सं. 1 ता 15 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 1 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 3 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 8 रकबा 1.65 हैक्टर कुल रकबा 8.87 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 3 के नये खसरा नम्बर 12 रकबा 2.43 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जे काश्त व अधिकारो की भूमि में [illegible] अप्रार्थी सं. 1 ता 15 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं डालें तथा न ही अपने एजेन्टों प्रतिनिधियों से डलवाये एवं विरूद्व अप्रार्थी सं. 16 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त खसरों की भूमि के संबंध में पट्टे जारी नही करे एवं विरूद्व अप्रार्थी सं. 18 इस आशय की जारी कि जावें कि ता–फैसला वाद वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरो की भूमि के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन नही करे तथा विरूद्व अप्रार्थी सं. 17 इस आशय की जारी फरमाई जावें कि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1से 10 द्वारा एवं अप्रार्थी सं. 12 से 15 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है, प्रतिवादी सं. 16, 17, 18 बावजदू इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 11 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया।

अप्रार्थी 14 से 15 अपनी रेकर्डेड खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि को मौके पर अलग–अलग सींव माठ कायम कर काबिज चले आ रहे है, तत्कालीन खसरा नम्बर 3 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा आसाढ बदी 7 सम्वत 2017 को बेचान की लिखापढी के जरिये चुन्नीलाल पुत्र आसु मेघवंशी साकिन कुचामनसिटी को नानू जिसका उपनाम नागू भी है उसने अपने खातेदारी हक अधिकारो का बेचान कर मौके पर कब्जा चुन्नीलाल को हस्तानान्तरित कर दिया था, भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 3 के नये खसरा नम्बर 12 व 16 कायम किये गये और मिसल व राजस्व अधिकार अभिलेख में चुन्नीलाल की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारीगण श्यामलाल विजयकुमार पि. चुन्नीलाल के नाम जमाबंदी में दर्ज हो गई। वर्तमान में उपरोक्त खसरान के खातेदारी अधिकार उत्तरकर्ता 14 व 15 को जरिये पंजिबद्व विक्रय विलेख के हस्तानान्तरित कर दिये, अप्रार्थी उत्तरकर्तागण की दीपपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 12 की सम्पूर्ण सम्पूर्ण भूमि का उपयोग परिवर्तन के आदेश के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन सुदा भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 90 ए आर.एल.आर. एक्ट के तहत भू– उपयोग परिवर्तन किया जाकर अन्यत्र उमर खॉ को पंजिकृत बेचान के जरिये विक्रय किया जा चुका है, खारिया के गत खसरा नम्बर 1 की सम्वत 2018–2022 की जमाबंदी में दर्ज बेचान नामान्तरकरण प्रविष्टि सं. 90 के जरिये नानु उर्फ नागू ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 1 के सारे खातेदारी हकुक की कृषि भूमि धन्नाराम वल्द दुला एवं रूपा वल्द बोदू कुम्हार सा. कुचामनसिटी को बेचान कर दिया था इसलिए उपर्युक्त आराजी में प्रार्थी का कोई लेना देना नही है, चूंकि नानू उर्फ नागु वल्द बोदू का प्रार्थी पुत्र होने का तथ्य पूर्णतया मिथ्या गलत व मनगंढ़त तथ्यों के आधार पर अभिकथित किये है, प्रार्थी रतनगढ़ का मूल निवासी है नानू उर्फ नागू व बतूल के संसर्ग से मईनुदीन नामक कोई पुत्र सन्तान उत्पन्न नही हुई, नानू उर्फ नागू तथा बतूल की निःसन्तान मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी मईनुदीन के पिता का नाम नजमुदीन है जो बीचला बास रतनगढ़ का निवासी है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 12 व 13 ने कथन किये है तथा प्रार्थी का उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई लेना–देना नही बताया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 10 ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा नही आज दिन है, नानु उर्फ नागू पुत्र बोदू द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि का बेचान कर दिया था, जिसके आधार पर नामान्तकरण होकर संबंधित व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा उसके पश्चात भूमि का अन्तरण होकर [illegible] व्यक्तियो के नाम दर्ज होकर काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है [illegible] मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू किसी भी तरह से साबित नहीं होते है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि खारिया के गत खसरा नम्बर 1 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 3 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 69 बीघा 5 बिस्वा नानु पुत्र बोदु कौम इलाही मुसलमान कुचामनसिटी के नाम दर्ज रही है। तत्पश्चात उपरोक्त भूमि ग्राम नवीन ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल रकबा 8.87 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 12 रकबा 2.43 हैक्टर कायम होकर विभिन्न खातेदारो के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त भूमि का बेचान नही हुआ है तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से खातेदारी दर्ज की गई है। गत खसरा नम्बर 3 को रजिस्टर्ड बेचान नही होकर केवल मात्र लिखा पढ़ी ही है जिसका पंजियन आवश्यक था, इस प्रकार विषय वस्तु वादग्रस्त भूमि वाद में पक्षकारान की सुनवाई पश्चात तय होनी है कि प्रश्नगत भूमि का सही बेचान हस्तानान्तरण एवं नामान्तरकरण सही हुआ हो ? तब तक मौके पर परिशान्ति भंग नही हो तथा पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद ओर उत्पन्न नही हो। इसलिए पक्षकारान को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है।

## आदेश

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पाबंद किया जाता है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 3 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 7 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 8 रकबा 1.65 हैक्टर कुल रकबा 8.87 हैक्टर व खसरा नम्बर 12 रकबा 2.43 हैक्टर में मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा उप पंजियक कुचामनसिटी किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे।

आदेश आज दिनॉक 24/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:55:46 IST
Reason: SelfAttested